# कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल

---

क्रमॉक/भू–प्रबन्ध/समन्वय/2665 भोपाल, दिनॉक 27.11.2007

प्रति,

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग में वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार सौंपना।

सन्दर्भः–मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमॉक एफ/5/2/2006/10–3, दिनॉक 29.8.2006

---

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप दिनॉक 3.1.2005 द्वारा कुछ जनोपयोगी प्रकरणों के लिए एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार राज्य शासन को सौंपे गए थे। राज्य शासन द्वारा ये अधिकार उनके सन्दर्भित पत्र द्वारा समस्त क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए गए थे। मुख्यालय स्तर पर अनेकों बार यह बात प्रकाश में आई है कि वन मण्डल स्तर पर उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति के आदेश जारी किए जाने में विलम्ब होता है।

2. इस सन्दर्भ में निर्देशानुसार अनुरोध है कि एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में एक माह के भीतर निर्णय लिया जाना सुनिश्चित् करें। किसी भी स्थिति में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिए जाने में इससे अधिक समय न लगे। यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्वीकृति दी जाना सम्भव नहीं है, तो कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रस्ताव आवेदक को वापस करें तथा उनसे अनुरोध करें कि विधिवत् प्रस्ताव वन संरक्षक के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रस्ताव वन संरक्षक स्तर पर पंजीयन कराएँ।

3. इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर भी अवश्य ध्यान दें–

- यदि एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन के कोई प्रस्ताव आपके पास प्राप्त होते हैं, तो यह पूरी तरह जॉच कर लें कि ये प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में मय आवश्यक अभिलेखों के प्राप्त हुए हैं।
- यदि कोई प्रस्ताव मात्र बिना पूर्ण विवरण के निर्धारित प्रपत्र के बिना केवल एक ही पत्र में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव को तुरन्त आवेदक को लौटाते हुए स्पष्ट उल्लेख करें कि वे इस आशय का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ही दें।

राज्य शासन द्वारा सन्दर्भित पत्र के पैरा 2 में जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है, उन समस्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जाना सुनिश्चित् करें।

आपके स्तर से जारी समस्त आदेशों की प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठॉकित की जाए तथा जिन प्रकरणों में नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि ली जानी है, उनकी राशि वसूली जाने के पश्चात् ही आदेश दिया जाए।

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध),
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृष्ठॉकन क्रमॉक/भू–प्रबन्ध/समन्वय/2666 भोपाल, दिनॉक 27.11.2007

प्रतिलिपिः–

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)**
**मध्य प्रदेश, भोपाल**